

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक
राज्यसात वाद संख्या-18/2024
राज्य बनाम् हाईवा संख्या-JH02AQ-6163 के स्वामी एवं अन्य
(तीन वाहन)

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

19/05/25

-:: आदेश ::-

अभिलेख उपस्थापित। यह राज्यसात की कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक-273/खनन, दिनांक-20.03.2024 द्वारा रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-74/2024, Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining Transportation & Storage) Rules-2017 & 54 Jharkhand Mineral Concession Rule-2004 And 21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act-1957 के अंतर्गत 1. हाईवा संख्या-JH02AQ-6163 में लदा लगभग 700 cft पत्थर चिप्स, 2. हाईवा संख्या-BR02GC-8265 में लदा लगभग 800 cft पत्थर चिप्स, 3. हाईवा संख्या-BR02GC-8465 में लदा लगभग 800 cft पत्थर चिप्स एवं 4. हाईवा संख्या-JH02BM-9201 में लदा लगभग 800 cft बालू खनिज को राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(Cr.) No.-1072/2023, W.P.(C) No.-6788/2023, W.P.(C) No.-7531/2023 में पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही बिना प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है। तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।